भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2906
10 मार्च, 2026 को उत्तर के लिए

दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र में मछुआरों का बीमा

2906. श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दमन और दीव में उन मछुआरों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें सरकार द्वारा जीवन बीमा / बीमा कवरेज प्रदान किया गया है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान जीवन बीमा / बीमा कवरेज योजनाओं के अंतर्गत बीमाकृत मछुआरों की वर्ष-वार पूर्ण सूची क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत बीमा दावा लाभ प्राप्त करने वाले मछुआरों या उनके आश्रितों की कुल संख्या कितनी है; और

(घ) नाम, पूरा पता, बीमा योजना का नाम और पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष - वार वितरित की गई कुल धनराशि सहित बीमा लाभ प्राप्त करने वाले प्रत्येक लाभार्थी का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह

(क) से (घ): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 20,750 करोड़ रुपए के निवेश के साथ भारत में मात्स्यिकी क्षेत्र के सतत और जिम्मेदार विकास और मछुआरों के कल्याण के माध्यम से ब्लू रिवोल्यूशन लाने के लिए एक प्रमुख योजना 'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना' (PMMSY) कार्यान्वित कर रहा है। यह योजना अन्य बातों के साथ-साथ समुद्री और अंतर्देशीय, दोनों आयामों के मछुआरों, मत्स्य श्रमिकों और संबद्ध मत्स्य श्रमिकों को समूह दुर्घटना बीमा कवरेज के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है, जिसमें संपूर्ण बीमा प्रीमियम राशि केंद्र और राज्य के बीच सामान्य राज्यों के लिए 60:40 एवं हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में साझा की जाती है जबकि केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में, पूरी प्रीमियम राशि का भुगतान केंद्र द्वारा वहन किया जाता है। PMMSY के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले बीमा कवरेज में (i) मृत्यु या स्थायी पूर्ण शारीरिक अक्षमता के लिए 5,00,000/-रुपए, (ii) स्थायी आंशिक शारीरिक अक्षमता के लिए 2,50,000/-रुपए और (iii) दुर्घटना की स्थिति में अस्पताल में भर्ती होने के लिए 25,000/-रुपए की राशि शामिल है। PMMSY के कार्यान्वयन के विगत चार वर्षों (2021-22 से 2024-25) और वर्तमान वित्तीय वर्षों (2025-26) के दौरान, केंद्र सरकार ने सालाना औसतन 33.46 लाख मछुआरों को कवर करते हुए 167.33 लाख मछुआरों के बीमा कवरेज के लिए 149.07 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। इसके अलावा, दमन और दीव के संबंध में, विगत चार वर्षों (2020-21 से 2024-25) और वर्तमान वित्त वर्ष (2025-26) के दौरान योजना के अंतर्गत कुल 38267 मछुआरों का बीमा किया गया है, जिसमें 2023-24 के लिए 7514 मछुआरे, 2024-25 के लिए 7824 मछुआरे और 2025-26 के लिए 8089 मछुआरे शामिल हैं। इसके अलावा, 26 जुलाई 2021 को GAIS नीति की शुरुआत के बाद से, इस योजना के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से आज तक किसी भी दावे की सूचना नहीं मिली है।

******